

न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 541 / 2018 (82 / 2018)

दायर दिनांक :- 28.03.2018

अनवान

श्री जगदीश प्रसाद पिता मांगीलाल माली नि. ऐजेन्सी ऐरिया देवली  
वादी.....

बनाम

1. श्री दुर्गालाल पिता मांगीलाल माली नि. ऐजेन्सी ऐरिया देवली
2. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 183 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 24.08.2020

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम उँचा पटवार हल्का उँचा तहसील जहाजपुर की आ० न० 1172 रकबा 03.06 बीघा में 10 फीट चौड़ा रास्ता संयुक्त रखते हुये कब्जा अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 04.11.2019 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी सहमत है। जिससे बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

  
सहायक कलक्टर  
जिला (भीलवाडा)



अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्ली निम्नानुसार जारी की जाती है की :-  
ग्राम उँचा पटवार हल्का उँचा तहसील जहाजपुर

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	दुर्गालाल पिता मांगीलाल माली नि. ऐजेन्सी देवली	1172/2	01.12	माल III 1.08, बीड - I 0.04	0.75
		कुल किता 01	01.12		0.75
2	जगदीश प्रसाद पिता मांगीलाल माली नि. ऐजेन्सी देवली	1172/1	01.12	माल III 1.08, बीड - I 0.04	0.75
		कुल किता 01	01.12		0.75
3	दुर्गालाल, जगदीश प्रसाद पिता मांगीलाल माली नि. ऐजेन्सी देवली	1172/3	0.02	बीड I	0.02

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्ली मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उम्मेद सिंह राजावत )  
सहायक कलेक्टर,  
जहाजपुर (भीलवाडा)